HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 262/2026
CNR: RJHC020120312026 | URN: SOSA / 534U / 2026

In

S.B. Cr. Appeal No. 311/2026

Ankush Kumar Son Of Lakhvindar, Aged About 28 Years, Resident Of Gid, Police Station Kunjpur, Tehsil Karnal, Hariyana. (At Present In Central Jail, Bikaner)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Krishan Singh Rawat
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

29/10/2026

प्रार्थी–अभियुक्त अंकुश कुमार की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– विशिष्ट न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फतेहपुर) जिला–सीकर के द्वारा विशिष्ट प्रकरण (सीआईएस) संख्या– 31/2021 उनवान राजस्थान राज्य बनाम अंकुश कुमार व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 31.10.2025 जिसके द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
8/15 एन.डी.पी.एस. अधि.	10 वर्ष का कठोर कारावास	1,00,000/– रुपये	02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

Digitally signed by RAMESHWAR PRASAD
Date: 2026.10.31 13:48:46 IST

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि 5 वर्ष से अधिक की हो चुकी है जिससे प्रार्थी–अभियुक्त पर अधिरोपित आधे से अधिक की अवधि का कारावास भुगत चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हैं। प्रार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। याचिका की नियमित सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे रिहा किया जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी–अभियुक्त पर आरोपित 10 साल के दंडादेश में से 5 साल से अधिक की अवधि भुगत चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **अंकुश कुमार पुत्र लखविन्दर** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25,000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **30.11.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए **"दण्डादेश"** (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि प्रार्थी–अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

2– कि प्रार्थी–अभियुक्त का पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलता है तो वह इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता, जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगा।

8. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

56/RAMESHWAR PRASHAD